

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञाप संख्या-जी०/यो०-31-106/2024/...85.../जे०, पटना, दिनांक 06.01.26
सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय:- व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद में हाजत कर्मचारियों हेतु नाली एवं ग्रिल गेट के साथ शौचालय के निर्माण कार्य के निमित्त रू०-5,05,000/- (पाँच लाख पाँच हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद में हाजत कर्मचारियों हेतु नाली एवं ग्रिल गेट के साथ शौचालय के निर्माण कार्य के निमित्त रू०-5,05,000/- (पाँच लाख पाँच हजार रुपये) मात्र का प्राक्कलन प्राप्त है, जिसमें अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, गयाजी द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।
3. यह राज्य स्कीम है।
4. इस राशि का विकलन मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-051-निर्माण, उपशीर्ष-0105-न्यायिक भवन हेतु (विधि विभाग के लिए) के लिए स्वीकृत उपबंध की राशि से होगा। इसका विपत्र कोड सं०-विपत्र कोड-03-40598005101C5 है।
5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा इसकी निकासी जिला कोषागार, औरंगाबाद से की जायेगी।
6. इस कार्य पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगी।
7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
(पृ०-27/टि०, दिनांक-30.12.2025, सं०सं०- जी०/यो०-31-106/2024)
8. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
(पृ०-28/टि०, दिनांक-05.01.2026, सं०सं०- जी०/यो०-31-106/2024)
9. स्वीकृत्यादेश में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

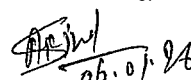
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(अंजनी कुमार सिंह)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं०- जी०/यो०-31-106/2024/...85.../जे०, पटना, दिनांक 06.01.26

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अंजनी कुमार सिंह)
सरकार के सचिव, बिहार।

P.T.O

ज्ञाप सं०— जी०/यो०-31-106/2024...85.../जे०, पटना, दिनांक...06.01.24..

प्रतिलिपि:—महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अंजनी कुमार सिंह)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं०— जी०/यो०-31-106/2024...85.../जे०, पटना, दिनांक...06.01.24..

प्रतिलिपि:— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद को प्राक्कलन की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०—यथोक्त।



(अंजनी कुमार सिंह)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं०— जी०/यो०-31-106/2024...85.../जे०, पटना, दिनांक...06.01.24..

प्रतिलिपि:— प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

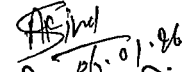


(अंजनी कुमार सिंह)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं०— जी०/यो०-31-106/2024...85.../जे०, पटना, दिनांक...06.01.24..

प्रतिलिपि:—आईटी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(अंजनी कुमार सिंह)

सरकार के सचिव, बिहार।

अपम
06/01/24